न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 03 / 2021 जीसीएमएस अपील संख्या 2021 / 113

अपीलान्ट्स

1. जोरसिंह पुत्र सरदारसिंह।
2. जोगसिंह पुत्र सरदारसिंह जाति राजपुत निवासी सरवाना तहसील सांचौर जिला जालोर।

रेस्पोडेण्ट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत सरवाना।
2. भवसिंह पुत्र सरदारसिंह।
3. छगनकंवर पत्नी सरदारसिंह जातियान राजपूत निवासीगण सरवाना तहसील सांचौर जिला जालोर।

अपील बनाराजगी आदेश सरपंच ग्राम पंचायत सरवाना के म्युटेशन संख्या 325 अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :–

अपीलान्ट्स अधिवक्ता श्री सगताराम चौधरी।

रेस्पोडेन्ट्स 1 से 3 एकपक्षीय।

–:निर्णयः–

दिनांकः– 12.09.2025

1. अपीलांट्स द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश की जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– अपीलान्ट की पैतृक सम्पति के खेत खसरा नम्बर 1630 / 98 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1632 / 1430 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1633 / 110 रकबा 0.52 कुल खसरे कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर, जिसके वर्तमान खाता नम्बर 253 सरहद मौजा सरवाना में आये हुये है। इसी प्रकार इसी ग्राम में [illegible] खसरा नम्बर 22 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 / 1604 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरे 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खाता नम्बर 126 आये हुये है। अपीलान्ट के पिता सरदारसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थे। इसके अलावा भी अपीलान्ट के पिता के नाम से ग्राम सरवाना में खेत आये हुऐ है। अपीलान्ट के पिता सरदारसिंह पुत्र मगसिंह फौत हो गये है। अपीलान्ट के पिता के फौत हो जाने पर अपीलान्ट ने अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

बहिनो का उनकी सहमति से अपीलान्ट के पक्ष में हकतर्कनामा करवाया गया तथा दिनांक 17.10.2021 को हमारे पिता के स्थान पर उतराधिकार का नामान्तरकरण करवाने गया तो अपीलान्ट को जानकारी हुई की उपरोक्त खाता नम्बर 253 व 126 की आराजी बाबत हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण संख्या 325 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम भरकर भू०अभि० निरीक्षक के पेश किया व भू०अभि० निरीक्षक ने बिना जांच किये ही कागजी तौर पर लिखकर सरपंच को पेश किया तथा सरपंच ने बिना जांच पड़ताल किये नामान्तरकरण संख्या 325 को स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया, जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त खेत के खातेदार अपीलान्ट के पिता सरदारसिंह पुत्र मगसिंह थे जबकि हल्का पटवारी ने किसी अन्य खातेदार सरदारसिंह पुत्र भगसिंह के फौतगी के नामान्तरकरण भरते समय दुषित भावना पुर्वक अपीलान्ट के खेतों को भी नामान्तरकरण संख्या 325 में शामिल कर दिये, जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम सरदारसिह पुत्र मगसिह है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण के स्वीकृत किये जाने से पूर्व सभी पक्षकारान् को नोटिस देकर कोई सुनवाई नहीं की है। अतः नामान्तरकरण पर दिया गया स्वीकृति आदेश निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट ने नामान्तरकरण कर स्वीकृत करने से पूर्व वारीसान बाबत कोई जांच पड़ताल नहीं की है। बिना जांच पड़ताल किया गया स्वीकृति आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त है। हल्का पटवारी ने उक्त नामान्तरकरण संख्या 325 भरकर भू०अभिलेख निरीक्षक को जांच हेतु दिया गया जिस पर भू०अभिलेख निरीक्षक ने कोई जांच पड़ताल नहीं की, केवल कागजी तौर पर जांच किया जाना दर्ज किया है, इतना ही नहीं रेस्पोडेन्ट् को नामान्तरकरण पर 45 दिनों की समयावधि के भीतर निर्णय किया जाना आज्ञापक है लेकिन रेस्पोडेन्ट् से अपनी समय सीमा से बाहर जाकर नामान्तरकरण निर्णित किया है जो काबिल निरस्त है। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट को अपने खेतों का नामान्तरकरण भरने हेतु न तो कोई दस्तावेज दिये तथा न ही नामान्तरकरण भरे जाने हेतु आवेदन दिया न ही कोई निवेदन किया इसके उपरान्त भी बिना दस्तावेज व बिना किसी आदेश के अपीलान्ट के खेतों का नामान्तरकरण संख्या 325 स्वीकृत किया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। उपरोक्त आधारों पर नामान्तरकरण संख्या 325 अपीलान्ट के खेतों बाबत जो स्वीकृत किया गया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य होने से यह अपील श्रीमान की सेवामे पेश है। उक्त विधि विरूद्ध नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 17.10.2021 को जब वे हल्का पटवारी के पास अपने खेतों का उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण करवाने गये तब हल्का पटवारी ने अपीलान्ट् के अवतरण संख्या 1 में वर्णित खेतों का इन्द्राज रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:07:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

जानकारी दी तब तमाम नकलें व नामान्तरकरण संख्या 325 की नकलें लेने हेतु आवेदन किया जो अपीलान्ट् को दिनांक 18.10.2021 को मिली तब उक्त विधि विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 325 की जानकारी हुई, इससे पूर्व अपीलान्ट् को कोई जानकारी नहीं थी। अतः जानकारी तारीख से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः निवेदन है कि श्रीमान अपीलान्ट् की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम सरवाना के नामान्तरकरण संख्या 325 अपीलान्ट् के खेत खसरा नम्बर 1630 / 98 रक़बा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1632 / 1430 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1633 / 110 रकबा 0.52 हैक्टेयर कुल रकबा 0.94 हैक्टेयर, जिसके वर्तमान खाता नम्बर 253 सरहद मौजा सरवाना में आये हुये है। इसी प्रकार इसी ग्राम में खेत खसरा नम्बर 22 रकबा 2.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 / 1604 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरे 2 कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर जिसके वर्तमान खाता नम्बर 126 के हकों तक निरस्त किया जाकर अपीलान्ट् के नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

2. अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 लगायत 3 की बाद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. सर्वप्रथम अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र को सुना गया। बहस अपीलांट्स सुनी गई, मुताबिक अपीलांट्स ग्राम पंचायत ने अपीलांट्स को सुने बिना ही नामान्तरकरण विधि विरुद्व तरीके से पारित किया है तथा अपीलान्ट्स के जानकारी में आते ही अपीलांट्स द्वारा अपील पेश की गई है। अतः अपील पेश करने में हुई देरी क्षम्य है। नामांतरकरण संख्या 325 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा पारित नामान्तरकरण की जानकारी होते ही अपील दिनांक 20.10.2021 को प्रस्तुत की गई है, अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन किया जाता है।

4. हमने अपील पर अपीलाण्ट्स अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलाण्ट्स द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया, पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट्स के पिता सरदारसिंह पुत्र मगसिंह राजपूत के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, इसके अलावा भी अपीलांट्स के पिता के नाम [illegible] सरवाना में खेत आये हुये है। अपीलांट्स के पिता के फौत होने पर अपीलान्ट्स [illegible] अपनी बहनों का उनकी सहमति से अपीलान्ट्स के पक्ष में हकतर्कनामा करवाया गया। सरदारसिंह पुत्र मगसिंह के फौत होने पर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत सरदारसिंह के वारिसान के नाम नामांतरकरण भरा जाना था, परन्तु पटवारी हल्का ने किसी अन्य खातेदार सरदार सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

पुत्र भगसिंह के फौतगी नामांतरकरण भरते समय दुषित भावना पूर्वक अपीलांट्स के खेतों को भी नामांतरकरण संख्या 325 में शामिल कर दिए जबकि अपीलांट्स के पिता का नाम सरदार सिंह पुत्र मगसिंह है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित नहीं हैं अतः ग्राम पंचायत सरवाना द्वारा पारित उक्त नामांतरकरण संख्या 325 निरस्त करने योग्य है।

–: आदेश :–

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत सरवाना द्वारा नामान्तरकरण संख्या 325 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त नामान्तरकरण के आधार पर जमाबंदी में किये गये इन्द्राज भी प्रभाव शून्य घोषित किये जाते है। तहसीलदार सांचौर को आदेश दिए जाते हैं कि सभी पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर देते हुए आराजी मुतनाजा पर खातेदार सरदार सिंह पुत्र मगसिंह के विधिक वारिसानों के नाम बाद जांच नामांतरकरण आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सांचौर को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना–अपना खर्चा वहन करें।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

उपखण्ड अधिकारी सांचौर (जालोर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.12.09 11:57:18 IST
Reason: SelfAttested